

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

रामचंद्र बनाम अक्षय

प्रकरण संख्या : 137/2024

प. 21

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

प्रावकी वाले अपाधीगक
01, 04, 05, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 19
इ. वि. 14/05/2025 से प्रारंभ
इ. वि. 14/05/2025 से प्रारंभ

BSW
उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

14/05/2025 प्रावकी पं. 137/24 / प्राधी अधिवक्ता
उपखण्ड

प्रावकी वाले इ. वि. 14/05/2025 से प्रारंभ
इ. वि. 28/05/2025 से प्रारंभ

BSW
उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

28/05/2025

प्रावकी पं. 137/24 / प्राधी अधिवक्ता उपखण्ड
इ. वि. 14/05/2025 से प्रारंभ
इ. वि. 28/05/2025 से प्रारंभ
इ. वि. 14/05/2025 से प्रारंभ
इ. वि. 28/05/2025 से प्रारंभ

अतः वाद बहुलता की प्रतीति
से मध्य न्याय रयत हुए प्रारंभ

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

रामनंद बनाम अजय

7.2

संख्या : 137/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

दि. 22/11/2024 के अनुमा उभयपक्षों ने
 जयपुर अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत वाद
 पक्षों द्वारा किया जाना है कि वाद अधीन भूमि
 के क्षेत्रों एवं सिटिई शीयघासिई वगैरे
 रखा आदेश सुनाया गया। परपक्षीय म
 सुमा क्षेत्र एवं नम्बर से समझी।

PS
 28/5/24

PSW
 उपखण्ड अधिकारी
 आमेर, जिला- जयपुर